

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(36)नविधि/एनएचपी/2014/पार्ट

जयपुर दिनांक 31 MAY 2017.

आदेश

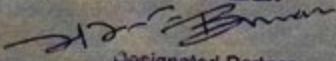
मुख्यमंत्री जन आवास योजना -2015 के तहत धारा 90ए की कार्यवाही 30 दिवस में पूर्ण करने के पश्चात विकासकर्ता द्वारा भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर तीन कार्यदिवस में प्रोजेक्टल अनुमोदन जारी किये जाने का प्रावधान किया हुआ है, परन्तु नगरीय निकायों में धारा 90 ए की कार्यवाही 30 दिवस की निर्धारित अवधि में सम्पादित नहीं होने तथा भवन मानचित्र अनुमोदन में लग रहे समय को देखते हुए वर्तमान प्रक्रिया के विकल्प के रूप में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये एम्पैन्ड आर्किटेक्ट्स को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. विकासकर्ता द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण कर निकाय स्तर पर एकल पट्टा के प्रकरणों में पट्टा प्राप्त कर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु संबंधित निकाय में भवन विनियमों के प्रावधानानुसार अनुमोदन शुल्क (जांच फीस) जमा करानी होगी।
2. जांच फीस जमा की रसीद व प्रस्तावित भवन मानचित्र एम्पैन्ड आर्किटेक्ट्स को प्रस्तुत करने होंगे, जिनका भवन विनियमों के मानदण्डों के अनुसार परीक्षण कर एक सप्ताह में एम्पैन्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा अनुमोदन किया जाकर एक प्रति विकासकर्ता को तथा एक प्रति संबंधित नगरीय निकाय को देनी होगी।
3. भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु निर्धारित बैकलिरट (संलग्न) की पूर्ति एम्पैन्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा की जायेगी तथा एक मूल प्रति संबंधित निकाय को भी उपलब्ध करानी होगी।
4. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु एम्पैन्ड आर्किटेक्ट्स को फीस विकासकर्ता द्वारा आपसी सहमति से तय की जानी होगी। यह फीस संबंधित निकाय में जमा करायी गयी जांच फीस के अतिरिक्त होगी।

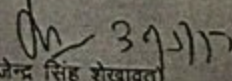
उक्त आदेश सूक्ष्म स्तर से अनुमोदित है।

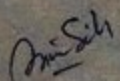
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

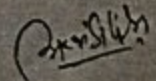
SKG B3B LLP


Designated Partner

राज्यपाल की आज्ञा से.

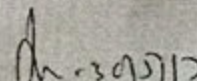

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

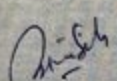

Ankur Singh Tanwar
CA/2011/51904


Ankur Singh Tanwar
CA/2011/51904

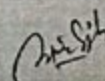
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

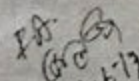
1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. प्रसिद्ध उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट, समस्त।
12. रचित पत्रादली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

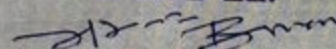

Ankur Singh Tanwar

CA/2011/51904


Ankur Singh Tanwar
CA/2011/51904


1-6-17

SKG B3B LLP


Designated Partner

191

Check List for Building Plan Approval of CMJAY Projects (Flatted Development)

Applicant Name:

SKG B3B LLP

Architect's Name & Registration No.

Ankur Singh Tanwar, CA/2011/51904

Address (Proposed Building)

Khasra No.: 622, 631

Village: Narsinghpura Urf Riksha

Tehsil : Sanganer, Jaipur

Width of Proposed Road

18.0 mt.

Area (Sq Mt.)

5154.06 sq.mt.

A) Portion of scheme area Proposed for

5154.06 sq.mt.

EWS/LIG

B) Balance Portion of scheme area

Nil

Proposed for Developer

S No.	Details	Comments	
1.	Size of Plot (EWS/LIG Portion)	5154.06 sq.mt.	
2.	Setbacks	As per Bylaws/ CMJAY Policy	As per proposal
	Front	12.0 mt.	12.0 mt.
	Side I	6.0 mt.	6.0 mt.
	Side II	6.0 mt.	6.0 mt.
	Rear	6.0 mt.	6.0 mt.
3.	Ground Coverage	As per Bylaws/ CMJAY Policy	As per proposal
		50%	31.80%
4.	Basement (If Approved)	1:8	1:8
	(i) Ramp (Slope)	3 Nos.	3 Nos.
	(ii) Staircase	As per Bylaws/ CMJAY Policy	As per proposal
	(iii) Setback	6.0 mt.	12.0 mt.
	Front	3.0 mt.	6.0 mt.
	Side I	3.0 mt.	6.0 mt.
	Side II	3.0 mt.	6.0 mt.
	Rear	-	-
	(iv) Any Other observation	-	-
5.	Height (No. of Floors)	As per Bylaws/ CMJAY Policy	As per proposal
		36.0 mt.	29.6 mt.

For SKG B3B LLP

Designated Partner

SKG B3B LLP

Designated Partner

Ankur Singh Tanwar
CA/2011/51904

6.	F.A.R.	As per Bylaws/ CMJAY Policy 12800.0 sq. mt.	As per proposal 12470.03 sq. mt.
7.	Super Built-up Area	As per Bylaws/ CMJAY Policy	As per proposal
	(i) E W S	30.0 sq.mt. max. carpet area	Type A: 396.33 sq.ft. Type B: 358.33 sq.ft. Type C: 346.71 sq.ft.
	(ii) L.I.G.	60.0 sq.mt. max. carpet area	Type A : 811.17 sq.ft. Type A1: 811.17 sq.ft. Type B : 638.08 sq.ft. Type B1: 644.33 sq.ft. Type C : 644.33 sq.ft. Type D : 617.20 sq.ft. Type E : 506.76 sq.ft.
8.	Parking	As per Bylaws/ CMJAY Policy	As per proposal
		3 cars, 491 scooters	3 cars, 494 scooters
9.	Cut-out/ Open to Sky/ Duct	As per Bylaws 8.0 sq. mt.	As per proposal N.A.
10.	Projections/Balconies etc. (Covered/Extended)	As per Bylaws 1.2 mt.	As per proposal 1.2 mt.
11.	Certification for fire safety (Final)	N.A.	N.A. w.r.t. order no. P.18(25) NVV/General/2014 dated 27 Jun. 2017
12.	Airport NOC (If Required)	N.A.	N.A. w.r.t. order no. P.18(25) NVV/General/2014 dated 27 Jun. 2017
13.	Environment Clearance (If Required)	N.A.	N.A. GBUA is less than 20000 sq.mt.
14.	Certification from Structure Engineer (Earthquake Resistance)	As per norms to be provided 515.41 sq. mt.	Provided as per norms 545.84 sq. mt.
15.	Plantation on site	As per norms to be provided	Provided as per norms
16.	Rain water Harvesting	As per norms to be provided	Provided as per norms
17.	Water waste Recycling	As per norms to be provided	Provided as per norms
18.	Sewerage Treatment Plant	As per norms to be provided	Provided as per norms
19.	Provision of Solid waste disposal	As per norms to be provided	Provided as per norms
20.	Provision of Solar Panels/ Solar water Heater	As per norms to be provided	Provided as per norms
21.	Provision of Physically Challenged Persons	As per norms to be provided	Provided as per norms
22.	Any Other Observation		

SKG B3B LLP

Designated Partner

For SKG B3B LLP
Designated Partners

Ankur Singh Tanwar
CA/2011/51904

Based on above facts application submitted by SKG B3B LLP is as per the provision of Chief Minister Jan Awas Yojana - 2015, Township policy and building byelaws. The applicant has deposited the charges of layout plan approval

Rs. _____ at _____ (development authority/UIT) Hence the construction permission is issued to:

Applicant name : SKG B3B LLP

Proposed site : Khasra No. 622, 631

Village : Narainhpura urf Riksha,

Tehsil : Sanganer, Jaipur

Area (Sq Mt) : 5154.06 Sq.mt.

Architect

Ankur Singh Tanwar
CA/2011/51904
Ankur Singh Tanwar

Registration no.

CA/2011/51904

SKG B3B LLP

Designated Partner

01/10/2017

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी-816

दिनांक:- 10/5/2018

SKG B3B LLP,
जरिये भागीदार,
श्री भानुप्रताप सिंह राठौड़, श्री सतीश सिंगोदिया,
14-15, श्याम प्लाजा, मैन अजमेर रोड,
भांकरोटा, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 622, 631, ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 622, 631, ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (5154.06 वर्गमीटर) पर 29.60 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट + भूतल + 9 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 200वीं बैठक दिनांक 03.01.2018 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा अप्रैल-2021 (मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या 4 (A) के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
15. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्स की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।

16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
19. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगावाये जावें।
26. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (09 मानचित्र)


भवदीय,
10/5/18
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जयपुरा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 3(212)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक **15 MAY 2020**

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख तथा 90-क के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के तहत स्थानीय निकायों द्वारा लीजडीड/पट्टा जारी किये जाते हैं, उनमें उपरोक्त नियमों के तहत भवन निर्माण निर्धारित समयावधि में किये जाने की शर्त अंकित की जाती है। इसी प्रकार भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में भवन निर्माण की समय सीमा निर्धारित की जाती है और भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र में भवन निर्माण की समय सीमा निर्धारित की जाती है।

कोविड-19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टा विलेख/लीज-डीड/भू-उपयोग परिवर्तन आदेश एवं भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयावधि को 6 माह बढ़ाया जाता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

आज्ञा से,

(मन्नीषा जोशी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राज0 जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

REMARK

1. We shall get the revised approved Building Plan dated 10.05.2018 vide letter no. ज.वि.प्रा./ स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी-816 uploaded on the RERA portal within 30 days from the date of issue of the extension certificate under COVID 19 Pandemic.
2. Building Plans are valid up to 31.10.2021. This has been calculated considering end date (30.04.2021) as per letter no. ज.वि.प्रा./ स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी-816 dated 10.05.2018 plus additional 6 month as per UDH Rajasthan vide its order dated 15.05.2020.
3. Kindly consider 1st date of approval as 01.10.2017 (Please refer Checklist by Empanelment Architect dated 01.10.2017).